महत्वपूर्ण एवं खास

मंदिर के बाहर खड़ी एक्टिवा पार

रायपुर (आरएनएस)। दुधाधारी मंदिर के सामने मठपारा में खड़ी एक्टिवा को अज्ञात चोर ने पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी परेश महतो 55 वर्ष कोटा कालोनी सरस्वती नगर का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि वह अपनी एक्टिवा क्रमांक सीजी 04 एलएन 5715 को मठपारा स्थित दुधाधारी मंदिर के सामने खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए एक्टिवा की कीमत करीब 25 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

चाकू लहराते दो युवक गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। तेलीबांधा पुलिस ने चाकू लहराते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चाकू जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार तेलीबांधा पुलिस ने लाभांडी अग्रसेन धाम चौक के पास चाकू लहराकर आतंक फैलाते हुए आरोपी रवि सोनवानी 31 वर्ष और दीपक बघेल 38 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चाकू जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

नंदनी एयरबैस के अंदर सूखे पेड़ों में लगी भीषण आग

दुर्ग अग्निशमन दल ने मोके पर पहुंचकर बड़ी घटना होने से संभाल लिया

दुर्ग (आरएनएस)। ग्राम नंदिनी में स्थित नंदनी एयरबैस के अंदर सूखे पेड़ों में भीषण आग लगी जो कि पूरे एयर वेस में फैल गया तत्काल सूचक द्वारा अग्निशमन कार्यालय दुर्ग को सूचना दिया गया। सूचना मिलते ही जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह के निर्देशन में अग्निशमन के दमकल टीमों को मौके पर तत्काल रवाना किया गया और वहाँ पहुँचकर अग्निशमन कर्मियों ने एयरबेस में फैले आग को विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाकर बड़े बहादुरी से कंट्रोल किया और आग को एयरबेस में स्थित कंट्रोल रूम एवं कार्यालय की तरफ ब ढऩे से रोक लिया गया जिससे जिले में बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा। घटना का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, फि लहाल पुलिस जांच कर रही है। अग्निशमन दल प्रभारी महेन्द्र चन्देल और अग्निशमन कर्मचारी रमेश कुमार, भीषम, धर्मेन्द्र कुमार ने टीम बनाकर घटना स्थान पर समय पर पहुँच कर बड़ी घटना होने से संभाल लिया एवं स्पॉट पर किसी भी प्रकार की घटना नहीं हुआ।

हनुमान जन्मोत्सव के दौरान दर्दनाक हादसा, एक की मौत, दूसरा घायल

रायपुर (आरएनएस)। गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र के दम्मानी कॉलोनी में हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियों के दौरान एक भीषण हादसा हो गया। झंडा बांधते समय ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक अचानक बंद हो गई, जिसके कारण दो युवक करीब 35 से 40 फीट की ऊंचाई से गिर गए। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार, यह हादसा देर रात करीब 1 से 2 बजे के बीच हुआ, जब हनुमान जन्मोत्सव के मद्देनजर झंडा बांधने की तैयारी चल रही थी। ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक का उपयोग किया जा रहा था, और बताया जा रहा है कि ओवरलोड होने के कारण हाइड्रोलिक अचानक बंद हो गया, जिससे दोनों युवक गिर पड़े। मृतक युवक की पहचान नितुल के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक सागर है। सागर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है।

भाटापारा के बुकी दिल्ली में बैठकर चला रहे थे क्रिकेट सट्टा,10 आरोपी गिरफ्तार

बलौदाबाजार-भाटापारा । आरएनएस

जिले में ऑनलाईन क्रिकेट सट्टा संचालन करने वाले गिरोह के 10 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भाटापारा शहर के आईपीएल बुकी दिल्ली में बैठकर सट्टा संचालन कर रहे थे जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर बलौदाबाजार लाया गया है। पुलिस ने आरोपियों से 08 लैपटॉप, 52 एण्ड्रायड मोबाइल फोन, 01 इंटरनेट राउटर, 42 एटीएम कार्ड, 64 विभिन्न बैंक अकाउंट, 22 विभिन्न बैंक के चेकबुक, 10 नग मोबाइल चार्जर, 03 इथर बाक्स, 01 लेन केबल एवं 03 एक्सटेंशन केबल एवं नगदी रकम 38,000 जप्त किया है।

बता दें कि दिनांक 03.04.2025 को थाना भाटापारा शहर की पुलिस टीम द्वारा संत रविदास वार्ड भाटापारा में घेराबंदी कर मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते हुए 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों द्वारा आईपीएल क्रिकेट मैच में मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन लोगिन आईडी लेकर पैसे का दांव लगाकर क्रिकेट सट्टा खिलाया जा रहा था। आरोपियों से 02 नग मोबाइल जप्त किया गया। इसी क्रम में दिनांक 03.04.2025 को ग्राम सुहेला तिगड्डा में आईपीएल क्रिकेट मैंचो पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगाए जाने के संबंध में पता चला। कि प्रकरणों में आरोपियों के विरूद्ध 07 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिशेध अधिनियम 2022 एवं 66 आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच कार्यवाही में लिया गया। दोनों प्रकरणों की जांच एवं विवेचना कार्यवाही तथा तकनीकी विश्लेषण में यह ज्ञात हुआ कि आरोपियों द्वारा विभिन्न ऑनलाइन सट्टा एप का लॉगिन आईडी के माध्यम से आईपीएल क्रिकेट मैंचो पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का संचालन किया जा रहा है। साथ ही सभी आरोपियों का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जहां से इस पूरे ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का संचालन किया जा रहा है, की सूचना पर थाना भाटापारा शहर एवं साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा योजना बनाकर नई दिल्ली में घेराबंदी कर छापा मारा गया। इस दौरान 10 आरोपियों को आईपीएल क्रिकेट मैंचो पर मोबाइल, टीवी, लैपटॉप आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का संचालन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। छापेमारी के दौरान आरोपियों से विभिन्न बैंक खाता भी जप्त किया गया है। इन खातों की जांच ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के संचालन पर करोडों रुपए का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने का पता चला है। प्रकरण की जांच एवं पूछताछ पर पता चला कि आरोपी ऑनलाईन आईपीएल क्रिकेट सट्टा का संचालन देश के विभिन्न स्थानों में वितरित किये गये लागिन आईडी के माध्यम से कर रहे थे। रेड कार्यवाही के दौरान रायपुर, भाटापारा, राजनांदगांव, जांजगीर, छत्तीगसढ रींवा मध्यप्रदेश के कुल 10 अभियुक्तो की संलिप्तता पायी गई, जिन्हें हिरासत में लिया गया। आरोपियों से पृथक पृथक 08 लैपटॉप, 52 एण्ड्रायड मोबाइल फोन, 01 इंटरनेट राउटर, 42 एटीएम कार्ड, 64 विभिन्न बैंक अकाउंट, 22 विभिन्न बैंक के चेकबुक, 10 नग मोबाइल चार्जर, 03 इथर बाक्स, 01 लेन केबल एवं 03 एक्सटेंशन केबल एवं 38,000 नगदी रकम जप्त किया गया है। रेड कार्रवाई के दौरान दो पैनल/बुक का संचालन आरोपियो द्वारा किया जा रहा था, जो दिल्ली शहर में किराये के दो फ्लैट में पृथक-पृथक रहकर संचालित कर रहे थे।

मामले में कपिल होतवानी उम्र 36 वर्ष निवासी हनुमान नगर कालीबाड़ी रायपुर , पवन कुमार मुंजार उम्र 40 साल निवासी पंडरी मोवा रायपुर, अंकित चौबे उम्र 24 वर्ष निवासी नैला जिला जांजगीर चांपा,आशीष धरमपाल उम्र 31 साल निवासी उसलापुर सांई आनंदम रोड बिलासपुर जिला बिलासपुर ,आर्यन गुण्डाने उम्र 20 साल निवासी पंचशील नगर भाटापारा,अभय साहू उम्र 21 वर्ष निवासी घोरदा थाना डोंगरगांव जिला राजनांदगांव

7. सत्यम सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी चित्रकूट धाम करवी सीतापुर बांधवालाल उत्तर प्रदेश,शिवम मिश्रा उम्र 24 साल निवासी केवटे सिरमौर रीवा मध्य प्रदेश,रिओम वलेचा उम्र 25 साल निवासी प्रेम प्रकाश नगर भाटापारा तथा महेश कल्याणी उम्र 40 साल निवासी लक्ष्मी अपार्टमेंट भाटापारा थाना भाटापारा को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा अन्य अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

अशांति फैलाने वाले फरार बदमाश गिरफ्तार

बिलासपुर । आरएनएस

जिले के सरकंडा थाना पुलिस ने क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले फरार बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बताया जाता है कि आरोपी प्रार्थी श्रीजय कश्यप पिता सतीश कुमार कश्यप उम्र 22 वर्ष निवासी निखिलेश्वरम कालोनी जबड़ापारा सरकण्डा का दिनांक 29.01.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका भाई लक्ष्य कश्यप लोयला स्कूल में कक्षा 9वीं पढ़ रहा है जो इसे फोन कर लेने के लिए स्कूल आने के लिए बोला तब वह कार से अपने भाई श्रीयांक कश्यप के साथ लक्ष्य कश्यप को लेने लोयला स्कूल पहुंचकर गेट के सामने जाकर इंतजार कर रहा था तभी कान्हा साहू इसे अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम लक्ष्य के भाई हो क्या तब वह हां कहने पर विवाद करते हुये अश्लील गाली गलौच करने लगा जिसे मना करने पर इसके कालर को पकड लिया और पीछे से नकुल यादव आया औरं इंट उठाकर सिर के पीछे मार दिया तभी इसके भाई श्रीयांक कश्यप बीच बचाव आया तो कान्हा साहू श्रीयांक कश्यप के गला को पकड़ कर जमीन में गिरा दिया और उसके साथी लोग लात घूसा से मारपीट करने लगे, इसी बीच कान्हा साहू और हर्ष चाकू निकालकर भाई श्रीयांक कश्यप को हत्या करने के नियत श्रीयांक के पेट, कुल्हे के पास मारकर चोंट पहुंचाये हैं, खून निकलते देख कान्हा साहू, अपने साथी समीर साहू हर्ष व अन्य के साथ मोटर सायकल से भाग गये हैं, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 156/2025 धारा 109, 191(3) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी हर्ष उपाध्याय एवं समीर साहू को घटना के 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है, प्रकरण में आरोपी अमित सूर्यवंशी, नकुल यादव, कान्हा साहू व अन्य फरार थे जिनकी पतासाजी की जा रही थी कि दिनांक 15.03.2025 को आरोपी अमित सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजा गया है, प्रकरण के आरोपी नकुल यादव एवं कान्हा साहू की पतासाजी की जा रही थी कि दिनांक 20.03.2025 को आरोपी नकुल यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। आरोपी कान्हा साहू की सतत् पतासाजी किया जा रहा था जो आज दिनांक 07.04.2025 को सूचना मिला कि आरोपी कान्हा साहू अपने सकुनत आया हुआ है, उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर तत्काल टीम तैयार कर आरोपी के सकुनत पर टीम भेजा गया जहां आरोपी कान्हा साहू को घेराबंदी कर पकड़ा गया जिससे पूछताछ करने पर अपने साथियों के साथ मिलकर घटना कारित करना स्वीकार करने पर विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

शराब दुकान के पास चाकू लहराते बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

भिलाई । आरएनएस

शहर की थाना सुपेला चौकी स्मृति नगर पुलिस ने अंग्रेजी शराब दुकान में पास चाकू लहरा रहे एक बदमाश् को गिरफ्तार किया है तथा आरोपी के कब्जे से 01 नग स्टील का चाकू जप्त किया है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी सुनील कुमार पिता ओमप्रकाश सिंह निवासी साकेत नगर कोहका चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला ने सूचना दिया कि दिनांक 07.04.2025 को दोपहर 3.30 बजे एक दध्यराज यादव नामक व्यक्ति शराब दुकान के शर्टर को खोलकर दुकान के पास आकर अश्लील गाली गलौच कर मारने की धमकी देते हुये अंग्रेजी शराब दुकान के स्टॉफ राकेश साहू को हाथ मुक्का से मारपीट किया तथा अपने पास रखे चाकू को दिखाकर शराब पीने के लिये पैसे का मांग कर रहा था। तत्संबंध में थाना सुपेला चौकी स्मृति नगर में धारा 296,351(2),115(2),119(1) भारतीय न्याय सहिता 25, 27 आम्र्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस द्वारा टीम गठित कर आरोपी दध्यराज यादव उर्फ मोटू के संबंध में पता तलाश कर किया गया और आरोपी को चिखली दुर्ग बस स्टैण्ड के पास पकड़ा गया जो कि अपने घर उड़िसा भागने की फिराक में था। आरोपी से पुछताछ कर उसके पास से एक स्टील को चाकू को जप्त किया गया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया है। उक्त आरोपी दध्यराज यादव उर्फ मोटू के अपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगाने हेतु एवं सत्त निगाह रखने हेतु आरोपी को चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला को गुण्डा लिस्ट में लाया गया है। जिनके विरूद्ध पूर्व में भारतीय दण्ड सहिता के तहत् 06 प्रकरण एवं 03 प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् कार्यवाही किया गया है। जिसके द्वारा अपने कृत्यो में सुधार नही लाने के कारण आरोपी दध्यराज यादव उर्फ मोटू को ग्राम जुनवानी मेन रोड में जुलुस निकाल गया है।

सुशासन तिहार 2025 : कलेक्ट्रेट सारंगढ़ सहित कई कार्यालयों में रखा गया समाधान पेटी

सारंगढ़ बिलाईगढ़

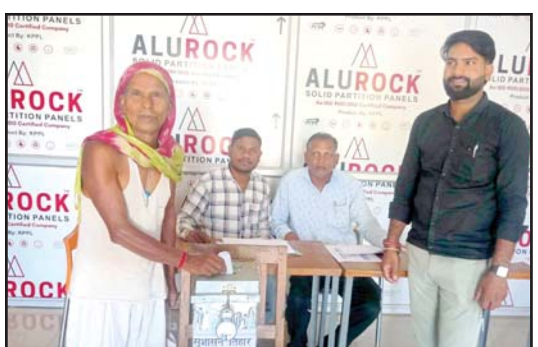

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर जिले के कार्यालयों में सुशासन तिहार का समाधान पेटी रखा गया, जहां जिले के नागरिकों ने अपनी मांग शिकायतों का आवेदन जमा किए। कलेक्ट्रेट के समाधान पेटी में सारंगढ़ के वार्ड कमलानगर सुकवारा सिदार ने पीएम आवास शहरी के लिए आवेदन जमा किए। इसी प्रकार आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, मछली पालन, क्रेडा, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर पंचायत सरसीवा और पवनी में समाधान पेटी रखा है।

आंगनबाड़ी केंद्रों में हुआ पोषण पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ

सारंगढ़ बिलाईगढ़

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी सारंगढ़ बिलाईगढ के आदेशानुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना लेन्धरा के समस्त आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन 8 अप्रैल से शुरू किया गया जो 22 अप्रैल तक संचालित किया जाएगा। इसमें जीवन के प्रथम 1000 दिवस, पोषण ट्रैक्टर में उपलब्ध बेनिफिशियरी मॉड्यूल का प्रचार प्रसार, कुपोषण का प्रबंध, बच्चों में मोटापा की समस्या को रोकथाम के लिए स्वस्थ जीवन शैली पर आधारित कार्यक्रम किया जाएगा। मंगलवार को परियोजना लेन्धरा के आंगनबाड़ी केंद्रो में साइकिल रैली, स्वास्थ्य परीक्षण, सार्वजनिक स्थानों में पोषण जागरूकता, प्रदर्शनी, शपथ ग्रहण आदि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सभी सेक्टर के सुपरवाइजर एवं परियोजना अधिकारी सरोजनी मसीह गुलजार, स्थानीय सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, बच्चे, ग्रामवासी की उपस्थित रही।

साल्हेओना के राजस्व पखवाड़ा शिविर में हुआ 9 प्रकरण निराकृत

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश जिले के गांवों में और पटवारी हल्का मुख्यालयों में राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए 7 अप्रैल से 21 अप्रैल तक राजस्व पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को तहसील सरिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय साल्हेओना में पखवाड़ा शिविर रखा गया। शिविर में ग्रामीणों की ओर से 9 राजस्व मामले मिले, जिस पर निराकरण की कार्रवाई की गई।

राजस्व पखवाड़ा शिविर में राजस्व निरीक्षक गोपाल सिंह पोर्ते, हल्का पटवारी शैलेंद्र कुमार पटेल, हल्का पटवारी उपेंद्र मेहर मौजूद रहे। शिविर के लिए आसपास के गांवों में मुनादी कराकर प्रचार प्रसार किया गया था। इसके बाद भी भीषण गर्मी के कारण अपेक्षाकृत ग्रामीण नहीं पहुंच सके। फिर भी फौती कटवाने, आय प्रमाण पत्र तथा सीमांकन जैसे 9 मामले लेकर ग्रामीण पहुंचे थे। जिस पर मौजूद राजस्व अधिकारी, कर्मचारियों ने निराकरण किया। पखवाड़ा शिविर में ग्राम कोटवार पदूम लाल चौहान, मनोहर चौहान, श्याम लाल चौहान, राजकुमार सिदार, गोविंद चौहान, दिलीप चौहान, महिला कोटवार राधा बाई चौहान उपस्थित रहे।

ग्रामीणों ने की खदानों की शिकायत : निर्देश अनुरूप जांच से ग्रामीण हुए संतुष्ट

ग्राम पंचायत बिलाईगढ अ में संचालित डोलोमाइट पत्थर खदानों में ब्लास्टिंग की शिकायत लेकर कुछ ग्रामीण पहुंचे थे। ऐसे में शिविर में मौजूद रहे अधिकारी ने समझाईश दिया कि इस मामले की शिकायत तीन दिन पूर्व जिला स्तर पर हो चुका है। अब मामले की जांच हेतु उच्च अधिकारियों का दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। समझाईश के बाद ग्रामीण मान गए।

कबीरधाम पुलिस ने उनके स्वामियों को सौंपे 174 गुम मोबाइल

कबीरधाम । आरएनएस

तकनीक के इस दौर में मोबाइल फ ोन केवल एक संचार उपकरण नहीं, बल्कि व्यक्ति की व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इसके गुम होने का अर्थ है एक आम नागरिक के दैनिक जीवन में असहायता, चिंता और असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होना। ऐसे में कबीरधाम पुलिस द्वारा गुम मोबाइलों की बरामदगी और सुपुर्दगी का यह प्रयास न केवल तकनीकी रूप से सफल अभियान है, बल्कि जनता में विश्वास और सुरक्षा की भावना को और गहराई देता है।

कबीरधाम जिले की साइबर सेल ने एक बार फिर उत्कृष्ट कार्य करते हुए 174 गुम मोबाइल फोन को ट्रैक कर उन्हें उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाने में सफलता हासिल की है। इन मोबाइल के कीमत लगभग 35 लाख रुपए है। यह समस्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (ढ्ढक्क्स्) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा डीएसपी साइबर कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में पूर्ण की गई। इस संपूर्ण प्रक्रिया का नेतृत्व साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक मनीष मिश्रा द्वारा किया गया, जिनके निर्देशन में एएसआई चंद्रकांत तिवारी साइबर सेल से आरक्षक मनीष सिंग राजपूत, आकाश राजपूत, उपेंद्र ठाकुर, अजय यादव, शिवम मंडावी एवं टीम के अन्य सदस्यों ने निरंतर सतर्कता, सूझबूझ और तकनीकी दक्षता के साथ कार्य किया।

टीम ने विभिन्न नेटवर्क प्रोवाइडर्स, डिवाइस आईएमइआई ट्रैकिंग सिस्टम, और डिजिटल निगरानी टूल्स का उपयोग करते हुए इन मोबाइलों की स्थिति का पता लगाया। खोए हुए मोबाइलों की बरामदगी के लिए तकनीकी कौशल के साथ-साथ धैर्य, निरंतर प्रयास और नागरिकों से संवाद की भी महती भूमिका रही।

मोबाइल सुपुर्दगी के दौरान ऐसे कई क्षण सामने आए जहाँ भावनाएं स्पष्ट रूप से छलक उठीं। एक युवा ने भावुक होकर कहा - इस फ ोन में मेरी नौकरी के सारे दस्तावेज़ थे। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन पुलिस ने फिर से मेरे सपने लौटा दिए।

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने इस अभियान को पुलिस और समाज के बीच सेतु बनाने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस अब केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक युग की आवश्यकताओं को समझते हुए नागरिकों की हर छोटी-बड़ी समस्या में सहभागी बनने का प्रयास कर रही है। साइबर अपराधों के बढ़ते प्रचलन में गुम मोबाइलों की ट्रैकिंग और बरामदगी एक चुनौती है, लेकिन यह हमारे लिए सेवा का अवसर भी है। उन्होंने आगे बताया कि कबीरधाम पुलिस साइबर जागरूकता, डिजिटल सुरक्षा और तकनीकी सहायता के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत है, और आने वाले समय में इससे जुड़ी जन-जागरूकता गतिविधियाँ और तेज़ की जाएंगी।

साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक मनीष मिश्रा ने बताया कि अधिकांश मामलों में नागरिकों द्वारा समय पर रिपोर्ट दर्ज कराना और ढ्ढरूश्वढ्ढ नंबर की जानकारी उपलब्ध कराना इस सफलता की कुंजी रहा। इसके साथ ही उनकी टीम ने दिन-रात मेहनत कर ऐसे स्थानों तक पहुँच बनाई जहाँ से डिवाइस सक्रिय किए जा रहे थे।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवका, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU